



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168516

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 22308 वर्ष 2007

मनोज कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : इंद्रपाल सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह लोधी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी. के. राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 12)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रपाल सिंह राजपूत की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्री राजेश मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12.03.2007 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए 'पंचायत मित्र' के पद पर याचिकाकर्ता के चयन को निरस्त कर दिया गया था तथा यह निर्देश दिया गया था कि वरीयता सूची में द्वितीय स्थान पर रहने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वाले अभ्यर्थी को 'पंचायत मित्र' के रूप में नियुक्त किया जाए। तथापि, इस संबंध में अनुबंध किए जाने की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक स्थगित कर दी गई थी। तत्पश्चात्, दिनांक 11.05.2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अगली सूचीबद्ध तिथि तक दिनांक 12.03.2007 के आक्षेपित आदेश के अनुपालन में की जाने वाली आगे की समस्त कार्यवाही स्थगित रहेगी। इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त आक्षेपित आदेश के अनुसरण में ग्राम पंचायत ब्रजपुरा, विकास खंड चरखारी, जनपद महोबा में 'पंचायत मित्र' के पद पर किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जा सका।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 03.07.2006 के शासनादेश द्वारा राज्य सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में 'पंचायत मित्र' की नियुक्ति की जाए। याचिकाकर्ता ने भी ग्राम पंचायत ब्रजपुरा, विकास खंड चरखारी, जनपद महोबा में 'पंचायत मित्र' के पद के लिए आवेदन किया था और अपनी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर चयन सूची में उसका प्रथम वरीयता क्रम था तथा जिला पंचायत राज अधिकारी ने याचिकाकर्ता को ग्राम ब्रजपुरा में 'पंचायत मित्र' के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया था। तथापि, याचिकाकर्ता और ग्राम पंचायत के मध्य अनुबंध निष्पादित किए जाने से पूर्व ग्राम प्रधान ने स्वयं याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसी ग्राम पंचायत में अपनी पत्नी को आशा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त कराने हेतु दस्तावेजों में कूटरचना किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी।

4. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता तथा उसकी पत्नी प्रभा देवी, दोनों के विरुद्ध आरोप-पत्र भी दाखिल किया गया था। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता तथा उसकी पत्नी प्रभा देवी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की। उक्त याचिका, अर्थात् आपराधिक विविध याचिका संख्या 2464 वर्ष 2007, का निस्तारण याचिकाकर्ताओं को आत्मसमर्पण करने तथा जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ किया गया। इस प्रकार, उक्त आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। फलतः, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसे नियुक्ति संबंधी अनुबंध निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में रिट याचिका संख्या 6395 वर्ष 2007 दाखिल की थी, जिसका दिनांक 12.02.2007 के आदेश द्वारा इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारण किया गया कि याचिकाकर्ता प्राधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है और प्राधिकारी विधि के अनुसार उस पर निर्णय लेगा। दिनांक 12.02.2007 के उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता के चयन को निरस्त करते हुए उसके प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया।

5. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका दाखिल किए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता को दिनांक 29.10.2012 के आदेश द्वारा दोषमुक्त भी कर दिया गया है, जिसे अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है। चूंकि वर्तमान मामले में विवाद वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत ब्रजपुरा, विकास खंड चरखारी, जनपद महोबा में 'पंचायत मित्र' के पद पर नियुक्ति से संबंधित था, जो प्रारंभ में एक वर्ष के लिए की जानी थी और जिसे दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में तथा इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण 'पंचायत मित्र' के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी और वर्तमान याचिका के लंबित रहने के कारण 19 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को इतनी विलंबित अवस्था में याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, वर्तमान याचिका **निरस्त** की जाती है।
7. तथापि, यदि अनुमन्य हो, तो प्रतिवादियों के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वे नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार 'पंचायत मित्र' के पद पर नए सिरे से चयन की कार्यवाही कर सकते हैं। यदि याचिकाकर्ता नवीन चयन प्रक्रिया के अनुसरण में आवेदन करता है, तो उसे इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने की अवधि के बराबर आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक 11 अगस्त, 2026

शुभम आर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”